भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 560
(03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

केरल में पीएमएवाई-जी का कार्यान्वयन

560. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार केरल राज्य में पीएमएवाई -जी के तहत एकल घर के निर्माण की लागत में केंद्र सरकार के हिस्से को बढ़ाने पर विचार करेगी , यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान केरल राज्य में पीएमएवाई -जी के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या का जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान योजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत, मैदानी क्षेत्रों (केरल सहित) में 1.20 लाख रुपये और उत्तर -पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संघ राज्यस क्षेत्रों सहित) में 1.30 लाख रुपये की इकाई सहायता योजना के लाभार्थियों को प्रदान की जाती है। इकाई सहायता के अतिरिक्त , लाभार्थियों को 90/95 कार्य दिवसों की अकुशल श्रम मजदूरी की सुविधा प्रदान की जाती है। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) या वित्त पोषण के किसी अन्य विशिष्टच स्रोत के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता भी प्रदान की जाती है। पाइप से पेयजल , बिजली कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए अभिसरण और बेहतर आजीविका के अवसरों का पता लगाने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना -राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के माध्यम से पीएमएवाई -जी परिवारों की महिला सदस्यों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के दायरे में शामिल करने का कार्य भी किया जाता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 करोड़ और घरों के निर्माण के लिए मौजूदा इकाई सहायता के अनुसार मार्च, 2029 तक पीएमएवाई-जी को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। पीएमएवाई -जी के तहत लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली इकाई सहायता केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार है और वर्तमान में , मंत्रालय में इकाई वित्तीय सहायता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमएवाई -जी के तहत केरल राज्य में आवंटित लक्ष्यों , स्वीकृत और पूर्ण किए गए घरों का जिला-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमएवाई -जी के तहत केरल राज्य को ₹138.42 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया है।

****

अनुबंध-I

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत विगत पांच वर्षों के दौरान केरल राज्यत में आवंटित, स्वी़कृत तथा पूर्ण लक्ष्यों ा के जिलाावार विवरण के संबंध में दिनांक 03.02.2026 को लोक सभा में उत्तोर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्नं संख्या 560 के भाग (ख) के उत्तोर में उल्लिखित विवरण

क्र. सं.	**जिला**	**राज्य द्वारा आवंटित लक्ष**	**स्वीयकृत घ**	**पूरे किए गए घर**
1	अलाप्पुझा	15,281	4,384	896
2	एर्नाकुलम	13,472	2,287	533
3	इडुक्की	14,205	4,049	1,031
4	कन्नूर	11,925	2,040	368
5	कासरगोड	11,480	3,339	677
6	कोल्लम	16,377	4,034	1,327
7	कोट्टायम	9,248	2,472	315
8	कोझिकोड	11,206	3,160	563
9	मलप्पुरम	23,208	6,081	1,358
10	पलक्कड़	23,824	9,432	1,851
11	पथानामथिट्टा	8,174	1,879	536
12	तिरुवनंतपुरम	21,615	6,177	1,707
13	त्रिशूर	13,704	3,913	791
14	वायनाड	14,074	2,627	1,315
	कुल	**2,07,793**	**55,874**	**13,268**